

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर, मादरा  
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठारीन अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह कुल्हरि आर ए एस

उत्तवान

सुजिता

बनाम अमरसिंह आर ए

दावा बाबत - 88 RTA

मुकदमा नम्बर:- 106/16

निर्णय दिनांक :- 17-6-16

वादी की ओर से सुजिता की व प्रतिवादी की ओर से अमरसिंह आर ए की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-6-16 को मुझ नरेन्द्रसिंह कुल्हरि उपखण्ड अधिकारी मादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि :-

श्री सुजिता को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए और प्रतिवादी अमरसिंह के पास 1/2 हिस्सा रहे।

सुजिता को 1/2 हिस्सा के अलावा 1/2 हिस्सा के अलावा 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
अमरसिंह को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।  
दोनों को 1/2 हिस्सा दे दिया जाए।

यह निर्णय तारीख 17-6-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय के मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठारीन अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मादरा)

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	
2. भाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. भाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
4. ... रु. पर प्लीडर की फीस		4. ... रु. पर प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आवेदनिका की सामिल		7. आवेदनिका की सामिल	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मादरा (हनु.)